



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र 1942 (श10)

(सं0 पटना 536) पटना, सोमवार, 7 सितम्बर 2020

श्रम संसाधन विभाग
(श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश
19 अगस्त 2020

सं० 2/ई3-265/2018-2113/श्र०सं०—जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-803/स्था0 दिनांक-18.09.2019 के द्वारा दिनांक-07.09.2019 को जिला पदाधिकारी, अररिया के अध्यक्षता में आहूत जिला अनुकम्पा समिति के बैठक की कार्यवाही ज्ञापक-753/स्था0, दिनांक-07.09.2019 की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि श्री अफरोज जमाल, पिता-स्व0 लेयाकत हुसैन, (भूतपूर्व लिपिक, श्रम अधीक्षक कार्यालय, अररिया), ग्राम+पो0-अरण्डा, थाना-एम0एच0नगर, प्रखंड-हसनपुरा, जिला-सिवान की समूह-‘ग’ के पद पर ग्रेड वेतन-1900/- में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, अररिया द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री अफरोज जमाल की समूह-‘ग’ निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान 19,900-63,200/- में (लेवल-2 मूल वेतन रू0 19,900/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उप श्रमायुक्त कार्यालय, दरभंगा में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अफरोज जमाल की जन्म तिथि-25.06.1997 है।
3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
4. श्री अफरोज जमाल पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेंगे होगा।

5. श्री अफरोज जमाल को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
7. यह नियुक्ति श्री अफरोज जमाल द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।
8. श्री अफरोज जमाल को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. श्री अफरोज जमाल को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं हैं एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।
 - (i) साथ ही इस आशय का भी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात सही हैं। जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर आपराधिक मामले दर्ज किये जायेंगे तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।
10. श्री अफरोज जमाल पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/ लागू होगा।
11. श्री अफरोज जमाल को नियुक्ति के उपरांत संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा एवं अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
12. श्री अफरोज जमाल आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
13. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01 अप्रैल, 2003 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यविहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।
14. इसमें श्रमायुक्त, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अरविन्द कुमार,
संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 536-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>